



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18086 वर्ष 2026

नहनु उर्फ तेजपाल एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: अनूप कुमार मिश्रा, पिटू कुमार भारतीय, प्रद्युम्न कुमार पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: गया प्रसाद मिश्रा, कुलदीप कुमार गुप्ता, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप कुमार गुप्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
3. आवेदकगण थाना गोवर्धन, जिला मथुरा से संबंधित वाद अपराध संख्या- 625 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 109(1) बी.एन.एस. में शामिल हैं।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों को केवल एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों की बहन ने सूचनादाता के भाई के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जो वाद अपराध संख्या- 47 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 498ए, 323, 307 और 504 आईपीसी तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीकृत है। उक्त प्राथमिकी आवेदक की बहन और सूचनादाता के भाई के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सीय रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कुछ चोटें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हैं, जबकि शेष चोटें प्रकृति में साधारण हैं। जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या- 23 में आवेदकों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 14.03.2026 से जेल में निरुद्ध हैं। इसलिए, आवेदक जमानत के हकदार हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, परंतु उन्होंने अभियुक्त-आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों पर विवाद नहीं किया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिकॉर्ड का परिशीलन करने पर और आरोपों की प्रकृति तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए और मामले

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त वाद अपराध संख्या में आवेदकों- नहनु और अमन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर न्याय के हित में लगाई जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित होंगे, जब तक कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदकों की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"